रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062021-227977
CG-DL-E-29062021-227977

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 29, 2021/आषाढ़ 8, 1943
No. 356] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 29, 2021/ASHADHA 8, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2021

संख्या 35/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 444(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "टायरों के लिए टायर क्युरिंग प्रेस जिसे टायर वलकानाईजर्स अथवा टायरों के लिए रबड प्रोसेसिंग मशीनरीज भी कहा जाता है, जिसमें क्यूरिंग बाईसाईकिल टायरों के लिए 6 डे लाइट बाईसाईकिल टायर्स क्यूरिंग प्रेसों शामिल नहीं है" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के 8477 51 00 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 मार्च, 2016, जिसे सा.का.नि. 362 (अ), दिनांक 29 मार्च, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका

आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/37/2020-डीजीटीआर, दिनांक 26 फरवरी, 2021, जिसे दिनांक 26 फरवरी, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

और जहां कि केन्द्र सरकार ने उक्त विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 15/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 26 मार्च, 2021, जिसे सा.का.नि. 213 (अ), दिनांक 26 मार्च, 2021 के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत 30 सितम्बर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बढ़ा दिया है।

और जहां कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने उक्त विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु पर लगे प्रतिपाटन शुल्क को और आगे भी बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

अत: अब उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के अनुपालन में, केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 मार्च, 2016, जिसे सा.का.नि. 362 (अ), दिनांक 29 मार्च, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3 में, अंक, अक्षर और शब्द "30 सितम्बर, 2021" के स्थान पर, अंक, अक्षर और शब्द "30 नवम्बर, 2021" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/69/2021–टीओ (टीआरयू-I)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 मार्च, 2016 को सा.का.नि. 362 (अ), दिनांक 29 मार्च, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 15/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 26 मार्च, 2021, जिसे सा.का.नि. 213 (अ), दिनांक 26 मार्च, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2021

No. 35/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 444(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/37/2020 – DGTR, dated the 26th February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 26th February, 2021, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of "Tyre Curing Presses also known as Tyre Vulcanisers or Rubber Processing Machineries for tyres, excluding Six Day Light Curing Press for curing bi-cycle tyres" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under 8477 51 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from Peoples' Republic of China (hereinafter referred to as the subject country), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 11/2016-Customs (ADD), dated the 29th March, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 362 (E), dated the 29th March, 2016 and had requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act;

And whereas, the Central Government had extended the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject country up to and inclusive of the 30th September, 2021, *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 15/2021-Customs (ADD), dated the 26th March, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 213 (E), dated the 26th March, 2021;

And whereas, the designated authority has requested for further extension of the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject country.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 11/2016-Customs (ADD), dated the 29th March, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 362 (E), dated the 29th March, 2016, namely: -

In the said notification, in paragraph 3, for the figures, letters and word "30th September, 2021", the figures, letters and word "30th November, 2021" shall be substituted.

[F. No. CBIC-190354/69/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 11/2016-Customs (ADD), dated the 29th March, 2016 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 362 (E), dated the 29th March, 2016 and was last amended *vide* notification No. 15/2021-Customs (ADD), dated the 26th March, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 213 (E), dated the 26th March, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.06.29 21:22:30 +05'30'